ई-मेल

कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित वॉटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम
परती भूमि विकास विभाग
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष– 0522–4005337, 4113437 ई–मेल sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक– 1067 /एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक 29 जनवरी,2016

समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी
सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 07.01.2016 एवं 08.01.2016 को आयोजित कार्यशाला/समीक्षा बैठक में एम.आई.एस. फीडिंग/अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि एम.आई.एस. फीडिंग/अपडेट कराये जाने हेतु अवर अभियंता/संबंधित प्रभारी एवं लेखाकार द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ को पूर्ण सहयोग प्रदान नही किया जाता है जिससे एम.आई.एस. फीडिंग की प्रगति प्रभावित होती है। एम.आई.एस. की अद्यतन फीडिंग न होने के कारण प्रदेश में संचालित आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना की प्रगति पूर्ण रूप से परिलक्षित नही हो पाती है तथा भारत सरकार द्वारा संस्थागत मद में बजट विलम्ब से उपलब्ध कराया जाता है। यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक है।

उक्त दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि तकनीकी विशेषज्ञ मात्र को एम.आई.एस. फीडिंग न होने पर उत्तरदायी नही माना जायेगा, बल्कि अवर अभियंता/संबंधित कार्य प्रभारी/ लेखाकार इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। एम.आई.एस. फीडिंग नियमित रखने का पूर्ण दायित्व उक्त कर्मियों का होगा, जिसका रिव्यू भूमि सरंक्षण अधिकारी अपने स्तर पर समय–समय पर करते रहेंगे। उक्त तीनो कर्मी कम्प्यूटर संचालन में दक्ष हो जाये, समादेश मुख्यालय स्तर से भी इण्टरनेट के माध्यम से इसका रिव्यू किया जायेगा यदि संबंधित कर्मियो द्वारा अपेक्षित कार्य प्रगति नहीं लायी जाती है तो उस स्थिति में संबंधित कर्मियों को कार्यो में बरती गयी उदासीनता, अनुशासनहीनता एवं आदेशों की अवहेलना किये जाने का उल्लेख उनकी चरित्र पंजिका में कर दिया जायेगा।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक– 1067 /एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांकित
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष एंव प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी